



प्रेस नोट थाना लम्भुआ -



**सराहनीय कार्य दिनांक 13/09/2020 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर**

दिनांक 13/09/2020 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों तथा जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी लम्भुआ महोदय के निर्देशन मे थाना लम्भुआ पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त व जिला बदर अपराधियों के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 450/2020 धारा 188/269/147/148/452/323/308/325 भा0द0वि में वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ भोलू पुत्र संतराम यादव नि0 खुनशेखपुर थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर को व0उ0नि0 दयाशंकर मिश्रा मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार यादव व का0 ओमद मिश्रा की संयुक्त टीम द्वारा बधूपुर चौराहे के पास सुबह 07.30 बजे मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद तमंचा 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अवैध असलहा रखने के जुर्म में अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ भोलू पुत्र संतराम यादव नि0 खुनशेखपुर थाना लम्भुआ जनपद के विरुद्ध थाना लम्भुआ पर मु0अ0सं0 520/2020 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

**नाम पता गिरफ्तार अपराधी – 1. कृष्ण कुमार उर्फ भोलू पुत्र संतराम यादव नि0 खुनशेखपुर थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर**

**गिरफ्तारी का स्थान – बधूपुर चौराहा के पास**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1.-व0उ0नि0 दयाशंकर मिश्रा
- 2.उ0नि0 संजय कुमार यादव
- 3.का0 आमोद मिश्रा

**बरामदगी-** अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा नाजायज 032 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद होना